

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक/3583/444/2019/1/59

भोपाल, दिनांक 02/12/2019

प्रति,

1-

आयुक्त,  
संचालनालय आयुष, म. प्र.  
भोपाल

2-

समस्त प्रधानाचार्य,  
शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालय,  
म. प्र.

विषय:-

राज्य से बाहर यात्रा की अनुमति।

संदर्भ:-

संचालनालय का पत्र क्र. 88/440-42/4-स्था. दिनांक 18/3/2019, पत्र  
क्र. 88 बी/452-54/4-स्था. दिनांक 19/3/2019, पत्र क्र. 88 बी/468-  
72/4-स्था. दिनांक 20/3/2019 एवं पत्र क्र. 88 बी/457-67/4-स्था.  
दिनांक 20/3/2019

संदर्भित पत्रों के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों को सीसीआईएम/सीसीएच विजिट व अन्य प्रयोजन हेतु राज्य से बाहर यात्रा की सशर्त अनुमति दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति विषयक विभाग के पत्र क्रमांक 815/444/2019/1/59 दिनांक 6/3/2019 द्वारा जारी किये गये निर्देशों के स्थान पर निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1-

महाविद्यालयों का प्रशासकीय कार्य प्रभावित न हों, इसे दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में प्रधानाचार्यों को सीसीआईएम/सीसीएच परिदर्शन हेतु जाने की अनुमति नहीं होगी।

2-


अन्य शिक्षकों को परिदर्शन की तिथि प्राप्त होने पर जाने की अनुमति होगी, परन्तु जहां तक संभव हो जाने के पूर्व सक्षम स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। आकस्मिक स्थिति में संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से अनुमति दे सकते हैं, किन्तु प्रस्थान के पूर्व सक्षम स्तर से औपचारिक अनुमति/कार्योत्तर अनुमति हेतु प्रस्ताव/सूचना प्रधानाचार्य की अनुशंसा के साथ संचालनालय/शासन को प्राप्त हो जाना चाहिए।

3-

अन्य प्रयोजनों के लिये राज्य से बाहर यात्रा के मामलों में प्रधानाचार्य द्वारा कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए अनुमति की अनुशंसा दी जाएगी।

.....2.....

4- किसी भी स्थिति में शिक्षकों के मुख्यालय छोड़ने से महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्य प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।

  
(कलावती उड़के)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**संचालनालय आयुष, म०प्र०**  
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

E-mail: jdayush@mp.gov.in


Office (0755)2552931

Fax (0755) 2760225

पृ०क०/एफ- 88/3700-08/2019/4-स्थापना  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक: 16/12/2019

प्रधानाचार्य समस्त शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय भोपाल/रीवा/ग्वालियर/उज्जैन/इन्दौर/जबलपुर/बुरहानपुर म०प्र० की ओर भेजकर लेख है उक्त शासन पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

  
(डॉ० शोभना शुक्ला)  
प्र०संयुक्त संचालक  
संचालनालय आयुष म०प्र०